संख्या-83/2022/1353/सैंतीस-2-2022/001-1(3)/2022

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-03 अगस्त, 2022

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में एच. एस. वैक्सीनेशन की योजना (रा.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निर्गत वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश में संशोधन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-407/सा.-1/एक्स-84(670)/एच.एस./रा.यो./2022-23, दिनांक-14.07.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-68/2022/1088/सैंतीस-2-2022/001-1(3)/2022, दिनांक-11.07.2022 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-15 के अधीन एच.एस. वैक्सीनेशन की योजना के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में रू0-1405.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। संदर्भित शासनादेश दिनांक-11.07.2022 के नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों के परन्तुक-2 में उल्लिखित शर्त को विलोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त शासनादेश दिनांक-11.07.2022 के नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों के परन्तुक-1 में अंकित शर्त को निम्नवत् संशोधित किये जाने का भी निर्णय लिया गया हैः-

(1) स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय योजना के संचालन हेतु निर्गत किये गये दिशा-निर्देश/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

2- शासनादेश दिनांक-11.07.2022 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-83/2022/1353(1)/सैंतीस-2-2022/001-1(3)/2022 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय-सहायता) अनुभाग।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।